ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 05/2020–21

प्रभु पासवान वगै0 बनाम् प्रदीप पासवान

–: आदेश :–

24.03.2022

वर्त्तमान वाद आवेदक प्रभु पासवान, पे0–स्व0 लक्ष्मण हाजरा एवं अन्य, सा0–सीनपुर, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–सीनपुर नं0–432, जमाबंदी नं0–72, दाग नं0–210 एवं 602, रकवा–04–06–02 धूर भूमि से विपक्षीगण प्रदीप पासवान, दीपक पासवान, दोनों पे0–स्व0 मारो पासवान, नारायण पासवान, तारनी पासवान, दोनों पे0–स्व0 नरसिंह पासवान, सभी सा0–सीनपुर, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि गेंजर सेटलमेंट पर्चा में लालू हाजरा चौकीदार, पे0–मोसाहेब हाजरा के नाम से दर्ज है। लालू हाजरा अपने एकमात्र पुत्र बंकू हाजरा को छोड़कर फौत कर गये। बंकू हाजरा अपने पिछे एक पुत्र लक्ष्मण हाजरा और एक पुत्री झोरी देवी को छोड़कर फौत कर गये। लक्ष्मण हाजरा अपने पिछे तीन पुत्र प्रभु पासवान, संजय पासवान एवं टिंकु पासवान को छोड़कर फौत कर गये। विपक्षीगण का प्रासंगिक भूमि से कोई संबंध नहीं है, वे पूर्णतः बाहरी व्यक्ति हैं और न ही विपक्षीगण का जमाबंदी रैयत के साथ कोई संबंध है। विपक्षीगण जबरन प्रासंगिक भूमि हड़पना चाहते हैं। आवेदक द्वारा प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण को जाने से मना करने पर विपक्षीगण द्वारा मारपीट व गाली–गलौज किया जाता है, जिसके आलोक में महागामा थाना अंतर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध आवेदन दायर किया गया है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि के पर्चा की छाया प्रति समर्पित करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद विपक्षीगण पर चलने योग्य नहीं है। प्रासंगिक भूमि गेंजर सेटलमेंट पर्चा में लालू हाजरा चौकीदार, पे0–मोसाहेब हाजरा के नाम से दर्ज है। प्रासंगिक भूमि चौकीदारी जागीर कहकर पर्चा में दर्ज है, जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा भी अपने आवेदन में किया गया है। उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। चौकीदार नरसिंह हाजरा के मृत्युपरांत मारो हाजरा चौकीदार नियुक्त किये गये। वर्त्तमान में मारो हाजरा के पुत्र दीपक कुमार पासवान चौकीदार के पद पर कार्य कर रहे हैं। न्यायायिक तौर पर चौकीदारी जागीर का मालिकाना हक वर्त्तमान चौकीदार को दिया गया है। वर्ष–1984 में रेंट फिक्सेशन केस नं0–05/1984 के द्वारा मारो हाजरा के नाम से लगान धार्य निर्धारित किया गया था तथा दिनांक–02.08.1984 से मारो हाजरा के द्वारा लगान रसीद प्राप्त किया जा रहा था। विपक्षीगण बाहरी व्यक्ति हैं, यह कथन पूर्णतः असत्य है। विपक्षीगण के द्वारा वर्त्तमान में लगान रसीद प्राप्त किया जा रहा है। साक्ष्य के रूप में रेंट फिक्सेशन केस नं0–05/1984 में पारित आदेश की छाया प्रति, प्रासंगिक भूमि का रसीद एवं पर्चा की छाया प्रति समर्पित करते हुए आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–94/रा0, दिनांक–15.01.2022 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक भूमि लालू हाजरा चौकीदार, पे0–मोसाहेब हाजरा, कौम–दुशाध कहकर दर्ज है। विपक्षीगण प्रदीप पासवान, दीपक पासवान, पंजी–2 रैयत स्व0 मारो पासवान के पुत्र हैं तथा नारायण पासवान, तारनी पासवान, पंजी–2 रैयत स्व0 मारो

पासवान के भाई हैं। पूर्व में लालू हाजरा चौकीदार थे, जिनकी मृत्यु के उपरांत इनके भाई बालू हाजरा के पुत्र नरसिंह हाजरा चौकीदार हुए। पुनः नरसिंह हाजरा की मृत्यु उपरांत इनके पुत्र मारो हाजरा चौकीदार हुए। मारो पासवान सेवानिवृत चौकीदार की मृत्यु हो चुकी है। मौजा–सिनपुर, जमाबंदी नं0–59 के पर्चा में लालू हाजरा व बालू हाजरा भाई कहकर अंकित है। वर्त्तमान में प्रासंगिक भूमि पर मारो हाजरा चौकीदार के वंशज प्रदीप पासवान व दीपक पासवान का दखल कब्जा है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि वर्त्तमान में प्रासंगिक भूमि चौकीदारी जागीर पर मारो हाजरा के पुत्र दीपक कुमार पासवान चौकीदार के पद पर कार्य कर रहे हैं और प्रासंगिक भूमि पर मारो हाजरा चौकीदार के वंशज प्रदीप पासवान व दीपक पासवान का दखल कब्जा है। चौकीदारी जागीर पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 नीयम संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

24/03/22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

24/03/22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen by
11-06-2022

Seen by
11/6/22

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:03:40 +05:30
Location: 192.168.1.51